

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0) ::

-:: खुली निविदा आमंत्रण सूचना ::-

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना के उपयोग हेतु फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य सामग्री के क्रय बावत् सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/संस्था/निर्माता अपनी निविदायें सीलबंद लिफाफे में पूर्ण जानकारी सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय गुना में दिनांक 13.07.2023 को सांय 05.00 बजे तक आवक-जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से फर्नीचर/उपकरण एवं अन्य सामग्री प्रदाय हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक हैं। निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं फर्नीचर/उपकरण/अन्य सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in जिला न्यायालय गुना की वेबसाइट www.districts.ecourts.gov.in/guna एवं <https://mptenders.gov.in> पर भी उपलब्ध है, जहां से सामग्री का पूर्ण विवरण एवं शर्तें डाउनलोड कर अवलोकन कर सकते हैं।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म0प्र0)

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0) ::

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना के उपयोग हेतु निम्नांकित फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य सामग्री कय की जाना है-

स.क.	वस्तु का नाम	संभावित संख्या
1	पोडियम	01
2	सूचना पटल 1.5 x 1 फीट	36
3	हाइड्रोलिक लेडर 10फीट (फोल्डेबल एल्युमिनियम सीढ़ी)	02
4	बुक शैल्फ	08
5	लोहे के रेक	22
6	लोहे की अलमारी	18
7	श्रेडर मशीन	02
8	बैटरी 150 ए.एच. पुरानी बैटरी बायबेक सहित	01
9	लेमीनेशन मशीन	01
10	वाटर कैम्फर 05 लीटर (सेलो/मिल्टन)	30
11	जायलो वाहन के टायर	02
12	इनवर्टर 12वोल्ट + 150एच की बैटरी	01

--:निविदा शर्तें:--

1. सीलबंद निविदायें प्रधान जिला न्यायाधीश, गुना के नाम से दिनांक 13.07.2023 को सांय 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। उक्त निविदा कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना में गठित कय समिति द्वारा खोली जावेगी।
2. जिस सामग्री के संबंध में निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम निविदा के लिफाफों पर स्पष्ट लिखा जावे।
3. नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. आदेशानुसार सामग्री न्यायालय तक पहुंचाये जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।
5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना को यह अधिकार होगा कि निविदा खोलते समय यदि किसी सामग्री की दर अन्य निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों से अपेक्षाकृत कम है, तो ऐसी स्थिति में दरों के आधार पर एक से अधिक निविदाकर्ताओं से पृथक-पृथक सामग्री कय की जा सकती है, एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करत सकते है।
6. निविदा में सामग्री किस कम्पनी द्वारा निर्मित है तथा सामग्री के संबंध में सम्पूर्ण विवरण (कम्पनी का नाम, साइज, गेज, इत्यादि) अंकित करना अनिवार्य है।
7. निविदा पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवश्यक है।
8. सामग्री की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढ़ौत्तरी की जा सकती है।

9. निविदाकर्ता द्वारा सामग्री स्वीकृत दर एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा।
10. प्रदाय की गई कोई भी सामग्री निम्न स्तर पर निविदाकर्ता को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा कम्पनी के अनुसार सामग्री प्रदाय करनी होगी।
11. निविदा से संबंधित शर्त एवं प्रदाय किये जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की बेवसाइट www.mphc.gov.in जिला न्यायालय गुना की बेवसाइट www.districts.ecourts.gov.in/guna से डाउनलोड की जा सकती है।
12. क्रय आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि में प्रदाय करनी होगी।
13. निविदाकर्ता, वाणिज्यकर/जी.एस.टी. पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म0प्र0)